

सं० 12015/7/2008 -रा०भा० (त०क०)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
तकनीकी कक्ष

-०-

लोकनायक भवन, द्वितीय तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110 511
दिनांक: 12 मार्च, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर पर हिंदी में एकरूपता से कार्य करने के संबंध में ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धों का पालन कराने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर प्रणालियां तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में रोमन अल्फाबेट के साथ देवनागरी लिपि में काम करने की सुविधा भी उपलब्ध हो एवं प्रयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर हिंदी कार्य संबंधी आवश्यक जानकारी हो ।


2. प्रायः देखा गया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिनमें मुख्य है हिंदी कार्य के लिए प्रयोग किए जा रहे टू टाइप फोंट्स का विभिन्न कंप्यूटरों/साफ्टवेयरों में प्रयोग किए जा रहे अन्य टू टाइप फोंट्स के साथ मेल योग्य (compatible) न होना । इस समस्या के कारण हम हिंदी में तैयार की गई फाइलों को अंग्रेजी में तैयार की गई फाइलों की तरह आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अन्य उपलब्ध फोंट्स का प्रयोग करते हुए स्थानान्तरण नहीं कर पाते हैं । इसी तरह टाइप किये हुए हिंदी टेक्स्ट को दूसरे साफ्टवेयर में पेस्ट करके प्रयोग करने में भी समस्या आती है । इन समस्याओं का समाधान करने हेतु भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फोंट्स के लिए यूनिकोड इनकोडिंग को मान्यता दी गई है । नेटवर्क (LAN) सुरक्षा के मद्देनजर विंडोज-95, विंडोज-98 आपरेटिंग सिस्टम आधारित कंप्यूटर प्रयोग से हटाए जा चुके हैं/ हटाए जा रहे हैं । अब कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर विंडोज-2000 आपरेटिंग सिस्टम या बाद के वर्जन हैं, जो यूनिकोड इनकोडिंग में कार्य करने में पूर्ण सक्षम है । अतः कंप्यूटरों पर हिंदी का कार्य किसी भी यूनिकोड समर्थित फोंट्स में किया जा सकता है । यद्यपि INSCRIPT की-बोर्ड को मानक के रूप में मान्यता दे दी गई है, फिर भी प्रयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार अन्य की-बोर्ड के जरिए टाइपिंग कर सकते हैं । INSCRIPT की-बोर्ड प्रयोग करते हुए रेमिगटन तथा फोनेटिक शैली में टाइप करने को सुलभ बनाने के लिए निःशुल्क साफ्टवेयर उपलब्ध है । उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई हिंदी साफ्टवेयर टूल्स सी.डी. (जो कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुरोध पर निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है) में यूनिकोड समर्थित 160 फोंट्स उपलब्ध कराए गए हैं । सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट (www.ildc.in/hindi/hdownloadhindi.htm) पर उपरोक्त फोंट्स एवं हिंदी में कार्य करने के लिए और उपयोगी साफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं, जो निःशुल्क डाउनलोड करके प्रयोग में लाए जा सकते हैं । निःशुल्क हिंदी साफ्टवेयर सी.डी. प्राप्त करने के लिए अनुरोध भी ऑनलाइन इस वेब पृष्ठ का प्रयोग करके किया जा सकता है ।

3. अब तक टू टाइप फोन्टस में तैयार पुरानी फाइलों में उपलब्ध सामग्री को यूनिकोड फोंटस में परिवर्तित करके प्रयोग करने के लिए 'परिवर्तन 2.0' नाम का साफ्टवेयर भी उपरोक्त वेबसाइट/सी.डी पर उपलब्ध कराया गया है ।

4. विंडो 2000, विंडो एक्सपी एवं विंडो विस्ता आदि आपरेटिंग सिस्टम (O.S) में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में काम करने की द्विभाषी सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई होती है । इन सिस्टमों को द्विभाषी रूप में प्रयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त साफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है केवल इस सुविधा को संलग्नक-1 पर दी गई विधि अनुसार एनेबल किये जाने की आवश्यकता है ।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिकोड समर्थित फोन्टस में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करें ताकि हिंदी कार्यों संबंधी फाइलों को विभिन्न कंप्यूटरों पर विभिन्न साफ्टवेयरों के साथ आसानी से हस्तान्तरित/प्रयोग किया जा सके। मंत्रालय/विभाग हिंदी प्रयोग के लिए कोई भी साफ्टवेयर प्राप्त करते/खरीदते समय यह भी सुनिश्चित करें कि साफ्टवेयर यूनिकोड इनकोडिंग समर्थित हो । मंत्रालय/विभाग अपने सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को भी यूनिकोड इनकोडिंग को अपनाने की सलाह दे सकते हैं ।

भवदीय,



(पी.वी.वल्सला जी. कुट्टी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालय ।